

FROM NO. III

फर्द ग्रहण

(नियम 26)

जज अदालत बतिरिवत जिला कलेक्टर
दोब

अलफुद्दीन बनाम खुबराही कौरद
दोब

किसम मुकदमा निगरानी नं. 10 सन् 2012

धारीक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की क्षामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

21/01/12

अभिजाफक निगरानीकर्ता उपस्थित है। रिपोर्ट सविस्तर हो चुकी है प्रमाण दर्ज रजिस्टर कराना - निरीक्षण की तलबी जायिजे लगान की जावे एवं गूगल पंचायत हिलाबू से संबंधित रेकार्ड भी तलब कर पत्रावली दिनांक 8/11/12 को पेश हो।

849-53
17/11/12

8/11/12

पत्रावली पेश हुई। अभिजाफक निगरानीकर्ता उपो नान रिजिजनर 12-6 की ओर अनीक काउलीकलेशेड ने बकालतनामा पेश करने का इच्छर टेंकिन किया। पंचायत से रिपोर्ट अग्रपु। अतः वांटे पेश करने बकालतनामा एवं रेकार्ड तलबी पत्रावली दिनांक 6/12/12 को पेश हो।

U/T for Non Res

6/12/12

पत्रावली पेश हुई। अभिजाफक उअयपक्ष उअण जिला अभिजाफक एंड टेंक द्वारा आज अपनी मांगो के समर्थन में आधिक कार्य स्वगित रखा है। एअव हुकम लाकिमा पत्रावली दिनांक 03/01/13 को पेश हो।

21/1/12

1/1/13

पत्रावली पेश हुई। अभिजाफक उअयपक्ष उअण 10 ला. राजकार्म से काहर पछारे हो प्रवा हुकम पत्रावली दिनांक 8/1/13 को पेश हो।

1/1/13

23-2-17

अग्नि. रिबीजनर उपा. तन्नी प्रतिपक्षीय नही करता चाहे। अतः तन्नी प्रतिपक्षीय जरिजे शक्ति. ए. प्री. ले करवाई जाकर पत्रावली दि. 30-3-17 को पेश हो।

बातिरकत जिला कलेक्टर टोंक

30-3-17

पत्रावली पेश हुई। अग्नि. रिबीजनर उपा. हुकम हुकम लखिका पत्रावली दिनांक 5-5-17 को पेश हो।

बातिरकत जिला कलेक्टर टोंक

5-5-17

पत्रावली पेश हुई। अग्नि. रिबीजनर उपा. वांते तन्नी प्रतिपक्षीय दि. 15-6-17 को पेश हो।

बातिरकत जिला कलेक्टर टोंक

15-6-17

अग्नि. रिबीजनर उपा. तन्नी प्रतिपक्षीय जरिजे शक्ति. ए. प्री. करवाई जाकर पत्रावली दिनांक 21/7/17 को पेश हो।

बातिरकत जिला कलेक्टर टोंक

21-7-17

पत्रावली पेश हुई। अग्नि. रिबीजनर उपा. तन्नी प्रतिपक्षीय प्रबन्धन की जाकर दिनांक 25.8.17 को पेश हो।

बातिरकत जिला कलेक्टर टोंक

28.8.17

पत्रावली दिनांक 25.8.17 का खानगी अवकाश होने से आत्र पेश हुई। अग्नि. रिबीजनर उपा. वांते तन्नी प्रतिपक्षीय दि. 27-10-17 को पेश हो।

बातिरकत जिला कलेक्टर टोंक

27.10-17

पत्रावली पेश हुई। अग्नि. रिबीजनर उपा. वांते सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त रिबीजनर पंचायत राज अधिनियम 1997 के तहत जिला परिषद टोंक के निर्णय के विरुद्ध पेश किया है। पंचायत राज अधिनियम 1997 के तहत जिला परिषद के निर्णय को अपील सक्षम न्यायालय (पंचायत आयोग) के यहां ही की जा सकती है। उक्त न्यायालय को उक्त रिबीजनर को सुनने का अधिकार प्राप्त है। रिबीजनर ने सहमत हो उक्त रिबीजनर यहां पेश करती है। अतः मूल अपील सक्षम न्यायालय के पेश करने हेतु अपील को न्यायालय में

अमल शिवाजी
 उद्दिष्ट 9
 पत्रावली
 वरुण सत्यपति
 करवा 27/10/17
 सिपाई